संख्या: 03 /2017/ 355 / सत्रह - म- 2017-6 -9(139)/2012

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक मार्च, 2017

विषय प्रतिस्थापन के आधार पर विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु वाहनों के क्रय के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या -143 /सा0शा0/ वाहन क्रय/ 2016 – 17 दिनांक 22 सितम्बर ,2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 मे मोटर गाडी के क्रय किये जाने हेतु आय- व्ययक में अनुदान संख्या -17 के अन्तर्गत वाहन क्रय में प्राविधानित रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) के सापेक्ष 05 निष्प्रयोज्य जीपों के स्थान पर प्रतिस्थापन के आधार पर 05 बुलेरो एस0एल0ई0 2 डब्लू0डी0 डीजल बी0 एस0-4 जीप, जिसकी प्रति जीप कीमत रू0 6,64,110 है, क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू0 33,20,550 (रू0 तैतीस लाख बीस हजार पॉच सौ पचास मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) क्रय किये जाने वाले वाहनों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत् किया जायेगा ।

(2) प्रश्नगत वाहनों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जी0ई0एम0 पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा ।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नही हुई है ।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा ।

(5) प्रश्नगत वाहनों हेतु अनुमन्य /स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) उपरोक्त् स्वीकृति धनराशि का व्यय पूर्व निर्धारित नियमों/ शर्तो के अधीन व्यय किया जायेगा ।

(7) प्रश्नगत क्रय हेतु गुण्वत्ता, वरीयता एवं मात्रा को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.com

(8) उक्त वाहनों का क्रय किसी अन्य योजना से न किया गया हो अर्थात क्रय की कार्यवाही दविराबृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो ।

2- उपरोक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या - 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन –आयोजनेत्तर, 001- निदेशन तथा प्रशासन – 03- अधिष्ठान - 14 – मोटर गाडियों के क्रय के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(बिन्द गोपाल दि्वेदी)
अनु सचिव।

संख्या 03 /2017/ 355 **(1)**/सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संयुक्त निदेशक मत्स्य , मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार वाहन क्रय की समस्त आवश्यक कार्यवाही चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल दि्वेदी)
अनु सचिव।

http:// shasanadesh.up.nic.com